

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 16 मई, 2017

विषय-प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता का अनुश्रवण "मॉ" अभियान के अन्तर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म०भ०प्रा०/सा०/502/2017-18 दिनांक-09.05.2017 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना की गुणवत्ता का अनुश्रवण "मॉ" अभियान के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारत सरकार व प्रदेश सरकार के समवेत प्रयासों से संचालित है। यह योजना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, जिसके अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को प्रत्येक विद्यालय दिवस के मध्यावकाश में विविधतापूर्ण, गर्म एवं रूचिकर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आपसी सामंजस्य के साथ साथ न केवल छात्रों के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, अपितु वह एकाग्रता से शिक्षा भी ग्रहण कर पाते हैं। योजना के बेहतर संचालन हेतु समुदाय की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा दिये जाने हेतु विभिन्न प्रयास किये गये हैं, यथा- माता-अभिभावक संघ का गठन, विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन तथा रसोइये के चयन में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से चयन की व्यवस्था का प्राविधान किया गया है।

3- मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत प्रदेश में कक्षा-1 से 8 तक के राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतानिया मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रम योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों में प्रदेश सरकार द्वारा योजना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए समुदाय की सहभागिता बढ़ाये जाने हेतु "मॉ" अभियान के अन्तर्गत विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के महिला-अभिभावकों का एक रोस्टर तैयार कर योजना के संचालन, गुणवत्ता एवं अनुश्रवण कराये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त विद्यालयों, तहतानिया मदरसों एवं राष्ट्रीय बाल श्रम योजनान्तर्गत संचालित विद्यालयों में योजना की गुणवत्ता को और प्रभावशाली बनाये जाने हेतु विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के महिला अभिभावकों का एक रोस्टर तैयार कर भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण माताओं द्वारा किया जायेगा।

4. उक्त 'माँ' अभियान के अन्तर्गत माताओं द्वारा अनुश्रवण हेतु रोस्टर तैयार किये जाने में निम्नलिखित बिन्दुओं का समावेश किया जाता है :-

- विद्यालय में गठित 'विद्यालय प्रबंधन समिति' में 11 अभिभावक या माता-पिता अथवा संरक्षक होते हैं, जिसमें 50 प्रतिशत महिलायें होती हैं। वर्णित समिति में से अथवा अन्य महिलायें, जिनके पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत हों, में से ऐसी 06 महिलायें जो साक्षर हों एवं स्वेच्छा से योजना के संचालन, गुणवत्ता एवं अनुश्रवण जैसे सुझावों के लिए प्रत्येक विद्यालय दिवस में विद्यालय में आने को तैयार हों, का "माँ" अभियान के अन्तर्गत चयन किया जाय तथा दिवसवार उनका रोस्टर तैयार कर लिया जाये।
 - मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित ऐसे सहायित विद्यालय, जिनमें विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन न हुआ हो, उन विद्यालयों में विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व होगा कि अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के 06 महिला-अभिभावकों का "माँ" अभियान हेतु एक रोस्टर तैयार करेंगे, जिसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी को देंगे।
 - मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित ऐसे विद्यालय जिनमें स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भोजन का वितरण किया जाता है, उन विद्यालयों में भी "माँ" अभियान के अन्तर्गत चयनित 06 महिला-अभिभावक स्वयं सेवी संस्था द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण करेंगी।
 - योजना के कुशल संचालन हेतु "माँ" अभियान के अन्तर्गत चयनित 06 महिला-अभिभावकों का नाम विद्यालय में अंकित किया जाये। चयनित प्रत्येक महिला को सप्ताह में एक दिवस भोजन की गुणवत्ता को देखने, चखने एवं आवश्यक सुझाव हेतु निर्धारित कर दिया जाये। इसी प्रकार चयनित 06 महिलाएँ क्रमानुसार नियत दिवस पर विद्यालय में उपस्थित होकर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में अपनी सामाजिक सहभागिता प्रदान करेंगी। इस कार्य हेतु उन्हें कोई मानदेय आदि देय नहीं होगा।
 - निर्धारित दिवस पर चयनित महिला-अभिभावक द्वारा विद्यालय में उपस्थित होकर मध्याह्न भोजन पकाये जाने तथा परोसे जाने की प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जाएगा। विद्यालय पर व्यवस्थित रोस्टर रजिस्टर पर अपनी टिप्पणी एवं सुझाव अवश्य अंकित कर हस्ताक्षर भी किया जाएगा।
- 5- "माँ" अभियान की चयनित महिला-अभिभावकों द्वारा किये जाने वाले अनुश्रवण हेतु मुख्य बिन्दु निम्नवत होंगे-
- पके पकाये भोजन की गुणवत्ता का अनुश्रवण।
 - प्रत्येक छात्र हेतु मानकानुसार निर्धारित भोजन की मात्रा प्राप्त हो रही है अथवा नहीं?
 - रसोई की साफ-सफाई।
 - छात्र-छात्राओं के भोजन ग्रहण करने वाले बर्तन साफ हैं अथवा नहीं?
 - दूध/फल दिये जाने का समय, मात्रा एवं गुणवत्ता की निगरानी।
 - निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है अथवा नहीं?

- रसोइये का मानदेय समय से दिया जा रहा है अथवा नहीं?
- भोजन सामग्री समय से विद्यालय में उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं?

6- उक्त "मॉ" अभियान के अन्तर्गत अनुश्रवण के समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि वह महिला-अभिभावकों को पूर्ण सहयोग करेंगे अन्यथा की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि जो विद्यालय मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित हैं, उन विद्यालयों में "मॉ" अभियान का गठन कराते हुए विद्यालय पर व्यवस्थित रोस्टर रजिस्टर में महिला-अभिभावक का नाम, पति का नाम, स्थानीय पता, मोबाईल नं० (यदि हो तो) एवं नियत किया गया दिवस दर्ज कराए तथा प्रत्येक दशा में दिनांक 20 मई, 2017 के पूर्व शासन/मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को अवगत कराया जाय।

कृपया उक्त योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन/अनुश्रवण प्रत्येक स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(अजय कुमार सिंह)
सचिव।
16/05/17

संख्या-766(1)/79-6-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ ।
- 2- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र० ।
- 4- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र० ।
- 5- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० ।
- 6- समाज कल्याण/अल्पसंख्यक अधिकारी, उ०प्र० ।
- 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(निहालुद्दीन खॉ)
संयुक्त सचिव।

• रसोइये का मानदेय समय से दिया जा रहा है अथवा नहीं?

• भोजन सामग्री समय से विद्यालय में उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं?

6- उक्त "माँ" अभियान के अन्तर्गत अनुश्रवण के समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दायित्व होगा कि वह महिला-अभिभावकों को पूर्ण सहयोग करेंगे अन्यथा की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

7- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि जो विद्यालय मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित हैं, उन विद्यालयों में "माँ" अभियान का गठन कराते हुए विद्यालय पर व्यवस्थित रोस्टर रजिस्टर में महिला-अभिभावक का नाम, पति का नाम, स्थानीय पता, मोबाईल नं० (यदि हो तो) एवं नियत किया गया दिवस दर्ज कराए तथा प्रत्येक दशा में दिनांक 20 मई, 2017 के पूर्व शासन/मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को अवगत कराया जाय।

कृपया उक्त योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन/अनुश्रवण प्रत्येक स्तर पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(अर्जुन कुमार सिंह)
सचिव।
OIC
16/05/17

संख्या-766(1)/79-6-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ०प्र० लखनऊ ।
- 2- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) उ०प्र० ।
- 4- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र० ।
- 5- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० ।
- 6- समाज कल्याण/अल्पसंख्यक अधिकारी, उ०प्र० ।
- 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(निहालुद्दीन खॉ)
संयुक्त सचिव।
OIC